लाभांश वितरण नीति / DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

प्रस्तावना/ Preamble

यह लाभांश वितरण नीति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43क के लागू प्रावधानों के अनुसार बनाई गई है, (इसके बाद इसे 'सूचीबद्ध विनियम' के रूप में संदर्भित किया गया)। एमएसटीसी लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल, इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया , कंपनी की लाभांश वितरण नीति ("नीति ") को मंजूरी दे दी है और यह वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट पर स्वैच्छिक आधार पर दिखेगा। यह नीति मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए लाभांश की घोषणा के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए सामान्य मापदंडों को निर्धारित करती है।

This Dividend Distribution Policy is made pursuant to the applicable provisions of Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (hereinafter referred to as the 'Listing Regulations'). The Board of Directors of MSTC Limited (the "Company"), herein after referred as "the Board", has approved the Dividend Distribution Policy of the Company ("the Policy") and shall disclose the same on a voluntary basis in the annual reports and on the website of the Company. This Policy sets out the general parameters adopted by the Company for declaration of dividend for guidance purposes.

उद्देश्य/Objective

कंपनी का लक्ष्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है और उसका मानना है कि विकास को बढ़ावा देकर इसे हासिल किया जा सकता है। यह नीति लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और कंपनी के विकास और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त लाभ बनाए रखने के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाने का प्रयास करती है। नीति का उद्देश्य लाभांश घोषणा के लिए एक स्संगत दृष्टिकोण निर्धारित करना है।

The Company aimed at maximization of shareholders' value and believes that this can be attained by driving growth. The Policy endeavours to strike an optimum balance between rewarding shareholders through dividend and ensuring that sufficient profits are retained for growth of the Company and other needs. The objective of the Policy is to lay down a consistent approach to dividend declaration.

प्रभावी तिथि / Effective Date

लाभांश वितरण नीति, निदेशक मंडल द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।

Dividend Distribution Policy shall be effective from the date of its approval by the Board of Directors.

नीतिगत ढांचा / Policy Framework

यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी द्वारा जारी विनियमों, निवेश और सार्वजिनक पिरसंपित्त प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों, कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य दिशानिर्देश के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी पर लागू सीमा तक तैयार की गई है। बाद में, इन प्रावधानों में कोई भी संशोधन स्वत: इस नीति पर लागू होगा। यह नीति विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद लाभांश की घोषणा/सिफारिश के संबंध में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का विकल्प नहीं है।

The Policy has been formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013, Regulations issued by SEBI, Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Guidelines issued by Ministry of Finance/Ministry of Corporate Affairs and other guidelines, to the extent applicable on the Company. Any subsequent amendments in these provisions would, ipso-facto,

apply to this Policy. The Policy is not an alternative to the decision taken by the Board regarding declaration/recommendation of dividend after considering the various relevant factors.

लाभांश / DIVIDEND

लाभांश कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभ में से भुगतान की गई राशि है, जो शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश का भुगतान अंतरिम या अंतिम के रूप में किया जा सकता है।

Dividend is the amount paid by the Company out of profits, to its Shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by the shareholders. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the dividend can be paid as interim or final.

अंतरिम लाभांश / Interim Dividend

- क. वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का निदेशक मंडल अंतरिम लाभांश की घोषणा करेगा, जब भी वे इसे घोषित करना उचित समझते हैं।
- a. The Board of Directors of the Company shall declare the interim dividend during the financial year, as and when they consider it fit to so declare.
- ख. अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक बार घोषित किया जा सकता है और आम तौर पर कंपनी के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों के अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार कर सकता है।
- b. The interim dividend can be declared by the Board of Directors one or more times in a financial year and normally, the Board may consider the declaration of interim dividend after the finalization of the quarterly/half yearly financial statements of the Company.
- ग. अंतरिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो पात्र शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, लागू सीमा तक भुगतान किया जाएगा। पहली अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, दूसरी तिमाही/छमाही के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई बोर्ड की बैठक में घोषित किया जा सकता है, और 2 अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी देते समय घोषित किया जा सकता है।
- c. The interim dividend, if declared, shall be paid to the eligible shareholders, as per provisions of the Companies Act, 2013, SEBI Regulations and other laws, to the extent applicable. First interim dividend, if any, may be declared in the Board Meeting convened for approving financial statements for the 2nd quarter/half –year, and 2nd interim dividend, if any, may be declared at the time of approving financial statements for the 3rd quarter of the financial year.
- घ. यदि कंपनी द्वारा कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश के रूप में माना जाएगा।
- d. In case no final dividend is declared by the Company, interim dividend paid during the financial year, if any, shall be considered as final dividend at the Annual General Meeting of the Company.

अंतिम लाभांश / Final Dividend

- क. अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, का भुगतान वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के बाद वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है।
- a. The final dividend, if any, is paid once in a financial year after the preparation of the annual financial statements.
- ख. निदेशक मंडल कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को उनके अनुमोदन के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश करेगा। अंतिम लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, कंपनी की वार्षिक आम बैठक में लेनदेन की जाने वाली सामान्य व्यावसायिक मदों में शामिल की जाएगी।

- b. The Board of Directors shall recommend the final dividend to the Shareholders for their approval in the Annual General Meeting of the Company. The declaration of final dividend, if any, shall be included in the ordinary business items to be transacted at the Annual General Meeting of the Company.
- ग. अंतिम लाभांश का भुगतान पात्र शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन, लागू सीमा तक किया जाएगा।
- c. The final dividend shall be paid to the eligible shareholders subject as per provisions of the Companies Act, 2013, SEBI Regulations and other laws, to the extent applicable.

परिस्थितियाँ जिसके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं CIRCUMSTANCES UNDER WHICH THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY MAY OR MAY NOT EXPECT DIVIDEND

- 1. लाभांश भुगतान के संबंध में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह अपने शेयरधारकों के बीच वितिरत किए जाने वाले लाभ की राशि और कंपनी की भविष्य की वृद्धि और आधुनिकीकरण विस्तार योजना के लिए व्यवसाय में बनाए रखने के लिए लाभ की राशि निर्धारित करता है। कंपनी अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ अपनी तत्काल और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील और गतिशील लाभांश वितरण नीति अपनाना जारी रखेगी। वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का निर्णय/सिफारिश सांविधिक, आर्थिक, बाजार, उद्योग, बाहरी और आंतरिक कारकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- 1. The decision regarding dividend payout is a vital decision, as it determines the amount of the profit to be distributed among its shareholders and the amount of the profit to be retained in business for the future growth and modernization expansion plan of the Company. The Company would continue to adopt a progressive and dynamic dividend distribution policy to ensure its immediate and long-term requirements along with rewarding the Shareholders of the Company. Dividend for the financial year shall be decided/recommended by the Board, considering, statutory, economic, market, industry, external and internal factors.

कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश की घोषणा या कम दर पर लाभांश नहीं कर सकती है:

The Company may not declare dividend or declare dividend at a lower rate under the following circumstances:

- क. कंपनी के घाटे में चलने या लाभ अपर्याप्त होने की स्थिति में:
- a. in the event of the Company making losses or the profits are inadequate;
- ख. जहां कंपनी को कैपेक्स जिसमें उच्च पूंजी आवंटन, कार्यशील पूंजी, अतीत में लिए गए ऋणों की चुकौती के लिए धन की आवश्यकता है;
- b. where the Company is having requirement of funds for Capex requiring high capital allocation, working capital, repayment of loans taken in the past;
- ग. नगदी की अपर्याप्त उपलब्धता; और
- c. inadequate availability of cash; and
- घ. वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की उच्च लागत
- d. higher cost of raising funds from alternate sources

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लाभांश की घोषणा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी विनियमों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

It may be noted that declaration of dividend shall be subject to the provisions of Companies Act, 2013, SEBI Regulations, Guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs/Ministry of Finance/Department of Investment and Public Asset Management or any other authority.

लाभांश वितरण के लिए मानदंड / Parameters for Dividend Distribution

- कंपनी के पास शेयरों की केवल एक श्रेणी है इक्विटी शेयर और इसलिए, यहां दिए गए मानदंड उसी पर लागु होते हैं।
- The Company has only one class of shares i.e. Equity shares and, hence, the parameters disclosed here under apply to the same.
- बोर्ड वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के भूगतान पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता है:
- The Board while considering payment of dividend for a financial year may, inter alia, consider the following factors:
 - > वित्तीय वर्ष के लिए लाभ तथा कंपनी के सामान्य आरक्षित निधि / Profit for the financial year as well as general reserves of the Company.
 - भविष्य के लाभ और नकदी प्रवाह का अनुमान; / Projections of future profits and cashflows;
 - > ऋण लेने का स्तर और पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताओं सहित उधार लेने की क्षमता; / Borrowing levels and the capacity to borrow including repayment commitments;
 - कंपनी की वर्तमान और भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएँ जिसमें जैविक/अजैविक विकास के रास्ते शामिल हैं; / Present and future Capital expenditure plans of the Company including organic/inorganic growth avenues;
 - > लाभांश पर कर सहित लागू कर; / Applicable taxes including tax on dividend;
 - कंपनी अधिनियम के प्रावधानों या भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों सहित किसी अन्य सांविधिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन; / Compliance with the provisions of the Companies Act or any other statutory guidelines including guidelines issued by Government of India;
 - कंपनी और उद्योग के लिए पिछले लाभांश की प्रवृत्ति; / Past dividend trend for the Company and the industry;
 - 🕨 अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार की स्थिति; और / State of economy and capital markets; and
 - 🕨 बोर्ड द्वारा उचित समझा जाने वाला कोई अन्य कारक। / Any other factor as may be deemed fit by the Board.
- एक वर्ष के लिए लाभ को बोर्ड के विवेकानुसार समायोजित किया जा सकता है, तािक कानून, लेखांकन नीितयों, लेखांकन मानकों या अन्यथा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली असाधारण या एकमृश्त मदों या गैर-नकद मदों को बाहर रखा जा सके।
- The profits for a year may be adjusted at the discretion of the Board, for the purpose, to exclude exceptional or one-off items or non-cash items resulting from change in law, accounting policies, accounting standards or otherwise.

बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक और बाहरी कारक / Other important internal and external factors to be considered by the Board

उपर्युक्त मानदंडों जैसे कि प्राप्त लाभ और प्रस्तावित प्रमुख पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, लाभांश भुगतान या लाभ को बनाए रखने का निर्णय भी निम्नलिखित कारकों/ मानदंडों पर आधारित होगा:

In addition to the aforesaid parameters such as realized profits and proposed major capital expenditures, the decision of dividend payout or retention of profits shall also be based on the following factors/ parameters:

- 1. **नकदी प्रवाह** यदि कंपनी पर्याप्त प्रचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो उसे अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और कभी-कभी दैनिक प्रचालन को चलाने के लिए बाहरी वित्तपोषण पर भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है। बोर्ड अपने निर्णय से पहले इस पर विचार करेगा कि क्या लाभांश घोषित करना है या अपने लाभ को बनाए रखना है।
 - **Cash flow** If the Company cannot generate adequate operating cash flow, it may need torely on outside funding to meet its financial obligations and sometimes to run the day-to-day operations. The Board will consider the same before its decision whether to declare dividend or retain its profits.
- 2. उधार की लागत बोर्ड कंपनी द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालिक या अल्पकालिक परियोजनाओं पर विचार करते हुए आवश्यक निधियों की आवश्यकता का विश्लेषण करेगा और बाहरी स्नोतों जैसे बैंकरों, ऋण देने वाली संस्थाओं से या ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके या अपने स्वयं के धन को वापस लगाकर आवश्यक धन जुटाने की लागत के संदर्भ में विकल्पों की व्यवहार्यता का विश्लेषण करेगा।
 - Cost of borrowings The Board will analyze the requirement of necessary fundsconsidering the long term or short term projects proposed to be undertaken by the Company and the viability of the options in terms of cost of raising

necessary funds from external sources such as bankers, lending institutions or by issuance of debt securities or plough back its own funds.

- 3. **कराधान और अन्य विनियामक विचार** लाभांश वितरण कर या भारत में कर विनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी स्रोत पर कर कटौती, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकती है और एमएसटीसी के वित्त पर इसका प्रभाव पड़ सकता है
 - **Taxation and other regulatory concern** Dividend distribution tax or any tax deduction at source as required by tax regulations in India, as may be applicable at the time of declaration of dividend and its impact on the finances of MSTC.
- 4. **व्यापक आर्थिक स्थितियां** देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति, सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले नीतिगत निर्णय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान अन्य समान स्थितियों, जिनका कंपनी के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ सकता है, को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार रखने हेतु लाभ का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखने पर विचार कर सकता है।
 - **Macroeconomic conditions** Considering the state of economy in the Country, the policy decisions that may be formulated by the Government and other similar conditions prevailing in the international market which may have a bearing on or affect the business of the Company, the management may consider retaining a larger part of the profits to have sufficient reserves to absorb unforeseen circumstances.
- 5. **कंपनी का पिछला प्रदर्शन/लाभांश इतिहास और प्रतिष्ठा** व्यवसाय क्षेत्र में एमएसटीसी की स्थिति, इसका लाभांश भुगतान इतिहास और कंपनी की समग्र प्रतिष्ठा पर निर्णय का प्रभाव है।
 - Past performance/ Dividend history and reputation of the Company The standing of MSTC in the business space, its dividend payment history and the impact of the decision on overall reputation of the Company.
- 6. लाभांश के भुगतान पर कोई प्रतिबंध, किसी विनियम के आधार पर लाभांश की घोषणा के समय कंपनी पर लागू हो।

 Any restrictions on payment of dividends by virtue of any regulation as may be applicable to the Company at the time of declaration of dividend.

लाभांश भुगतान अनुपात / Dividend pay-out ratio

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का निर्णय बोर्ड द्वारा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय निष्पादन और नीति में पहले बताए गए अन्य आंतिश्क और बाहरी कारकों पर विचार करते हुए किया जाएगा। हालांकि, एमएसटीसी लिमिटेड केंद्र सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान अनुपात को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

Dividend for every financial year shall be decided by Board considering various statutory requirements, financial performance of the company and other internal and external factors enumerated earlier in the policy. However, efforts should be made to maintain a dividend pay-out ratio as guidelines of the Central Govt. applicable to MSTC Ltd.

- कंपनी निरंतर वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता वाली योजनाएं हैं। लाभांश वितरण के बाद प्रतिधारित उपार्जन का उपयोग मुख्य रूप से इसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
 - The Company is committed to continuous growth and has plans requiring significant capital outlay. The retained earnings, after distribution of dividend, shall primarily be utilized towards this purpose.

सामान्य / General

 यदि नीति किसी नए विनियामक प्रावधान के साथ असंगत है, तो ऐसा विनियामक प्रावधान इस नीति के संगत प्रावधान पर लागू होगा और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से तदन्सार संशोधित माना जाएगा। In the event of the Policy being inconsistent with any new regulatory provision, such regulatory provision shall prevail upon the corresponding provision of this policy and the policy shall be construed to be amended accordingly from the effective date of such provision.

 कंपनी नीति के किसी या सभी प्रावधानों को बदलने, संशोधित करने, जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जैसा कि वह उचित समझे या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत सरकार या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसार हो सकता है। हालांकि, नीति में परिवर्तन को खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर और कंपनी की आगामी वार्षिक रिपोर्ट में मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध रहेगा।

The Company reserves its right to alter, modify, add, delete or amend any or all of the provisions of the Policy as it may deem fit or in accordance with the guidelines and regulations as may be issued by Securities and Exchange Board of India, Government of India or any other regulatory authority. The change in the policy shall, however, be disclosed along with the justification thereof on the Company's website and in the ensuing annual report of the Company in accordance with the extant regulatory provisions.